भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2521

उत्तर देने की तारीख 3 अगस्त, 2026

सोमवार, 12 श्रावण, 1948 (शक)

जनजातीय क्षेत्रों में कौशल की कमी का आकलन

†2521. डॉ. मल्लू रवि:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना के नल्लामाला क्षेत्र सहित अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में मानकीकृत कौशल कार्यक्रमों की प्रभावकारिता का आकलन किया है जहां कई जनजातीय समुदायों के पास वानिकी, इमारती लकड़ी से इतर वन उत्पाद, पशुधन, मत्स्यपालन, औषधीय पौधों और पारिस्थितिकी-संरक्षण में पारंपरिक विशेषज्ञता है, लेकिन उन्हें ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है जो अक्सर उनकी आजीविका की जरूरतों से संबंधित नहीं होता है;

(ख) क्या सरकार ने प्रशिक्षण को स्वदेशी ज्ञान, स्थानीय संसाधनों और मौसमी व्यवसायों के साथ जोड़ने के लिए जिला-वार कोई कौशल अंतर और आजीविका मानचित्रण किया है;

(ग) क्या सरकार स्किल इंडिया और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत जनजातीय अनुसंधान संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और उद्योग के सहयोग से क्षेत्र-विशिष्ट, समुदाय के आधार पर बनाए गए पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या जनजातीय युवाओं के लिए पूर्व अधिगम की मान्यता (आरपीएल) और उद्यमिता सहायता बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंर्तगत देश भर के समाज के सभी वर्गों जिनमें तेलंगाना के नल्लमला क्षेत्र के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं, को कौशल, पुनर्कौशलीकरण और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग-संगत कौशलों से सुसज्जित बनाना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके माध्यम से देश के 111 आकांक्षी जिलों के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी), पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन एवं पुनः कौशलीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य युवाओं की अपने स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाना तथा विवशतावश पलायन को कम करना है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत स्कीम के कार्यान्वयन का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिसमें जिला कौशल समितियों (डीएससी) तथा कौशल हब संस्थाओं को प्रमुख भूमिका दी गई है, ताकि अंतिम छोर तक प्रशिक्षण की पहुँच सुनिश्चित हो, स्थानीय स्तर पर नियोजनीयता बढ़े तथा अंतरराज्यीय पलायन में कमी आए। इस स्कीम के अंतर्गत दूरस्थ एवं जनजातीय सीमावर्ती क्षेत्रों में असंगठित कामगारों के लिए पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) सहित लक्षित पहलें भी की जा रही हैं, जिससे उन्हें औपचारिक प्रमाणन प्राप्त हो सके तथा आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक, तेलंगाना के नल्लमला क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 58,510 लाभार्थियों को प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त किया गया है।

प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन: जनजातीय कार्य मंत्रालय लघु वन उपज और स्थानीय कृषि वस्तुओं के मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन की सुविधा प्रदान करके जनजातीय आबादी के लिए आजीविका के अवसरों और उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के माध्यम से प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) स्कीम लागू करता है। ट्राइफेड ने इस स्कीम के तहत 4172 वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) को मंजूरी दी है, जिससे देश भर में 12,48,067 सदस्य जुड़े हैं।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान: जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई), जनजातीय कार्य मंत्रालय की राज्य-स्तरीय अनुसंधान शाखाओं के रूप में कार्य करते हुए, जनजातीय विकास, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, साक्ष्य-आधारित नियोजन और विधायन, जनजातीय समुदायों और संबंधित संस्थाओं की क्षमता निर्माण तथा सूचना और जागरूकता के प्रसार के लिए ज्ञान और अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा समर्थित ये संस्थान जनजातीय कल्याण और विकास को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय पहल के रूप में काम करते हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) और प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन): धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (**डीएजेजीयूए**) और प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएमजनमन) भारत सरकार के प्रमुख मिशन हैं जो जनजातीय क्षेत्रों में समग्र विकास और लाभ परिपूर्णता के लिए समर्पित हैं। डीएजेजीयूए 17 मंत्रालयों/विभागों में समन्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका में अत्यधिक अंतर को हल करके जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के व्यापक विकास की कल्पना करता है। डीएजेजीयूए के तहत, इस मंत्रालय द्वारा देश के 15 राज्यों के 30 आदिवासी जिलों में 30 जनजातीय कौशल केंद्र (टीएससी) स्थापित किए गए हैं।

कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण: एमएसडीई ने राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) के माध्यम से वित्तपोषित "कौशलीकरण पाठ्यक्रमों की प्रदायगी के लिए 400 जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण" परियोजना को लागू किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित ईएमआरएस, अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रों, विशेष रूप से दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करते हैं। इस परियोजना का लक्ष्य प्रत्येक स्कूल में दो कौशल प्रयोगशालाओं के साथ चयनित जेएनवी और ईएमआरएस में सीबीएसई पाठ्यचर्या के अनुरूप 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना के माध्यम से स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच को मजबूत करना है। व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी प्रदायगी को सुनिश्चित करने के लिए, परियोजना में 1,200 कौशल शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण घटक भी शामिल है, जिसमें प्रति स्कूल दो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

पीएम जनमन: एमएसडीई, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से, मार्च 2024 से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक स्कीम - पीएम जनमन के कौशलीकरण और उद्यमिता घटक को लागू कर रहा है। यह स्कीम एमएसडीई सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। मंत्रालय वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) में कौशल और उद्यमिता विकास की सुविधा प्रदान कर रहा है।

ट्राइबएक्स: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ट्राइबएक्स लॉन्च किया है, जो जनजातीय कला, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास के लिए समर्पित अपनी तरह का पहला डिजिटल अधिगम प्लेटफॉर्म है, जो वर्तमान में पांच यूजीसी-मान्यता प्राप्त एक वर्षीय हाइब्रिड डिप्लोमा कार्यक्रमों- जनजातीय भाषा: संताली (ओल चिकी), सतत जनजातीय संस्कृति आधारित आजीविका प्रथाओं, संग्रहालय विज्ञान एवं जनजातीय संग्रहालय प्रबंधन, भारत की जनजातीय कला एवं शिल्प और जनजातीय वस्त्र के साथ-साथ चित्रकला, हस्तशिल्प, हथकरघा, कलाकृतियों और पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्रों जैसे विविध जनजातीय कला रूपों में 20 मुफ्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

कौशल अंतर अध्ययन: विभिन्न क्षेत्रों में कौशल भारत पहल के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की उद्योग की मांग और रोजगार क्षमता का आकलन करने के लिए समय-समय पर कौशल अंतर अध्ययन आयोजित किए जाते हैं। इस तरह के अध्ययन उद्योग की जरूरतों के अनुसार कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से सरकार के हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करते हैं। क्षेत्र कौशल परिषद(एसएससी) ने इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में कौशल अंतर का अध्ययन किया है, जो मांग-आपूर्ति आकलन और जनशक्ति अनुमान प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, देश में कौशल विकास संबंधी पहलों में समन्वय स्थापित करने तथा क्षेत्रीय कौशल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्यों और जिलों की सहभागिता से राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) तथा जिला कौशल समितियों (डीएससी) के माध्यम से किया जाता है। जिला कौशल समितियाँ जिले में रोजगार की संभावनाओं वाले क्षेत्रों तथा उनसे संबंधित कौशलीकरण की मांग की पहचान करती हैं और कौशल प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध सुविधाओं का मानचित्रण करती हैं। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रमों को विभिन्न क्षेत्रों में चिन्हित कौशल अंतर को दूर करने के उद्देश्य से तैयार एवं कार्यान्वित किया जाता है। साथ ही, संकल्प (आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन एवं ज्ञान जागरूकता) स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा राष्ट्रीय कौशल अंतराल अध्ययन का समर्थन किया गया, जिसके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग गतिविधियों सहित सात उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में कौशल अंतर के आकलन के लिए एक मानकीकृत, डेटा-आधारित रूपरेखा विकसित की गई। ऐसे कौशल अंतर अध्ययन सरकार को देशभर में उद्योग की मांग तथा भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास पहलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता प्रदान करते हैं।

कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की रोजगार क्षमता संबंधी कमी को पाटने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा निम्नलिखित विशेष कदम उठाए गए हैं:

i. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक शीर्ष नियामक के रूप में की गई है, जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विनियमों एवं मानकों का निर्धारण करती है।
ii. एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप योग्यताओं को विकसित करें, उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार चिन्हित ट्रेडों से संबद्ध करें तथा उनके लिए उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

iii. विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग विशेषज्ञों के नेतृत्व में 36 क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन किया गया है, जो संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता के मानकों का निर्धारण करती हैं।

iv. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) द्वारा फ्लेक्सी एमओयू स्कीम तथा दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इनका उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के प्रशिक्षुओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

v. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ अधिक व्यापक रूप से एकीकृत करने तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच निर्बाध परिवर्तनीयता को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। इसी सोच के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग से विकसित शिक्षुता-आधारित डिग्री कार्यक्रम (एईडीपी) के अंतर्गत डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने, परिणाम-आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करने, उद्योग-शैक्षणिक संस्थानों के बीच संबंध को सुदृढ़ बनाने तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल अर्जित करने में सहायक है।

vi. पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल), रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में नए युग/भविष्य के कौशल से संबंधित जोब रोलों को उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं, उभरती बाजार मांग तथा उद्योग की जरूरतों के अनुरूप विशेष रूप से समायोजित किया गया है।

vii. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने शिल्पकार प्रशिक्षण स्काम (सीटीएस) के अंतर्गत 5जी नेटवर्क तकनीशियन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नए युग/भविष्य के कौशल संबंधी नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं।

viii. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने राज्य एवं क्षेत्रीय स्तरों पर प्रशिक्षण संस्थानों के उद्योगों से बेहतर संबंध सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एडब्ल्यूएस आदि सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन साझेदारियों के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

ix. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत अहमदाबाद एवं मुंबई में स्थापित भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण से युक्त, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कार्यबल विकसित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

x. प्रमाणित अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट एवं शिक्षुता के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल महोत्सव तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले (पीएमएनएएम) आयोजित किए जाते हैं।

xi. सरकार ने पीएम सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन) नामक ₹60,000 करोड़ की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की है। इस स्कीम के अंतर्गत देशभर के 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर उन्नयन किया जाएगा, जिसमें 200 हब आईटीआई तथा 800 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। यह स्कीम उद्योग-नेतृत्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से प्रशिक्षुओं की रोजगार क्षमता परिणामों में सुधार पर विशेष बल देती है। साथ ही, सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था एवं उद्योगों से संबंध के माध्यम से शिक्षार्थियों (जिसमें प्रारंभिक चरण के उद्यम तथा प्रथम बार के उद्यमी भी शामिल हैं) को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल, वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव, करियर मार्गदर्शन, प्लेसमेंट सहायता तथा स्वरोजगार संबंधी सहयोग उपलब्ध कराकर अप्रत्यक्ष रूप से स्वरोजगार एवं उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करती है।
